सत्यमेव जयते

संख्या–2389/जी0एस0/शिक्षा/C 7-2/2012

प्रेषक,

अशोक,
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड　　　　देहरादूनः दिनांकः03 अक्टूबर, 2012

विषयः– विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम 13(3) व 16(1)व(2) में प्रस्तावित परिवर्धन/संशोधन विषयक विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के प्रस्ताव पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय–कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22.10.2010 द्वारा पारित प्रस्ताव सं0 2.09 एवं बैठक दिनांक 21.05.2011 द्वारा पारित प्रस्ताव सं0–अ–3.21 के अनुरुप क्रमशः परिनियमावली के परिनियम 16(1)व (2) तथा 13(3) में संशोधन/परिवर्धन विषयक आपके पत्र सं0यू0ओ0यू/आर–1/परि0संशो0/235/2010/252 दिनांक 15–11–2010 एवं पत्र सं0 यू0ओ0यू/आर–1/परि0संशो0/235/2011/11294 दिनांक 9–06–2011के क्रम में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 की धारा 31(3) व (4) के प्राविधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्रस्तावित संशोधन/परिवर्धन के प्रस्ताव के क्रम में वर्तमान प्राविधान के स्थान पर निम्नानुसार कॉलम–2 में अंकित प्राविधान को प्रतिस्थापित किये जाने की महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
13(3):- ----	13(3):- *(च) कुलपति द्वारा नामित अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्धित विषयों के दो विशेषज्ञ, जैसा कि कार्यहित में अपेक्षित हो – सदस्य* *(e) Two Experts of concern subjects from other univerisities, as necessary in the interest of work, shall be nominated by Vice-Chancellor - Member }*
16-*अन्य प्राधिकारी* *(1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे:–* *(2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य नीचे दिये गये हैं:–* *{ 16- Other Authorities:* *(1) It is hereby declared that below mentioned other shall be the authorities of the university:-* *(2) There will be a Study Board in each subject, the constitution, powers and functions are given below:-}*	**16**-*अन्य प्राधिकारी* *(1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय का प्राधिकारी होगा।* *(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियां और कृत्य निम्नवत होंगे:–* *{ 16- Other Authorities:* *(1) It is hereby declared that there will be a Study Board in each subject which shall be the authority of the university:-* *(2)The constitution, powers and functions of Study Board are given below:-}*

क्रमशः––––2/–

कृपया उक्त प्राविधान को विश्वविद्यालय की परिनियमावली में यथास्थान प्रतिस्थापित/समावेशित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि परिनियमावली के परिनियम 13(3)(ग) व (घ) में प्रस्तावित संशोधन पर महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

भवदीय,

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।

संख्या–2389 (1)/जी0एस0/शिक्षा/C 7-2/2012, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।